

प्रेस नोट 24.04.19

1.दिनांक 23.04.19 को वादी श्री चन्द्रभान पुत्र गेरन मल निवासी 18/74 रामनगर कालोनी थाना को0नगर, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि 02 अज्ञात व्यक्ति 02 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादी की कार नं0 यूपी 51 पी 0843 चोरी कर लेना। जिसके सम्बन्ध में थाना को0नगर में मु0अ0सं0 321/19 धारा 379 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।

2.दिनांक 23.04.19 को वादी श्री परमानन्द सिंह पुत्र स्व0 आर0पी0 सिंह निवासी 7/14/55 जनौरा थाना को0नगर, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि वाहन संख्या यूपी 42 एटी 4672 विक्रम का चालक नाम पता अज्ञात वाहन चालक द्वारा तेज व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर वादी की कार को टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर देना। जिसके सम्बन्ध में थाना को0नगर में मु0अ0सं0 323/19 धारा 279, 427 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।

3.दिनांक 23.04.19 को वादी उ0नि0 श्री राजेश कुमार मिश्रा थाना को0नगर, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि इसराइल पुत्र इब्राहिम निवासी दिलकुशा थाना को0नगर, अयोध्या आदि 03 नफर अभियुक्तगण द्वारा सार्वजनिक स्थान पर ताश के पत्तों से रूपयों के हार-जीत की बाजी लगाकर जुआ खेलना व पकड़े जाना, मौके से मालफुड-2500 रूपये व जामा तलाशी-1075 रूपये तथा ताश के 52 पत्ते बरामद होना। जिसके सम्बन्ध में थाना को0नगर में मु0अ0सं0 325/19 धारा 13 जुआ अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

4.दिनांक 23.04.19 को वादी उ0नि0 श्री यशवंत द्विवेदी थाना को0अयोध्या, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि मुनक्कर पुत्र दयाराम निवासी खजुहा कुण्ड जयसिंहपुर थाना को0अयोध्या, अयोध्या अभियुक्त के कब्जे से 120 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके सम्बन्ध में थाना को0अयोध्या में मु0अ0सं0 250/19 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

5.दिनांक 23.04.19 को वादी उ0नि0 श्री सुधांशू रंजन थाना गोसाईगंज, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि चन्द्रभूषण गौड़ पुत्र यदुनाथ प्रसाद निवासी अंकारीपुर थाना गोसाईगंज, अयोध्या अभियुक्त के कब्जे से 40 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके सम्बन्ध में थाना गोसाईगंज में मु0अ0सं0 122/19 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

6.दिनांक 23.04.19 को वादी उ0नि0 श्री अमर चौरसिया थाना रौनाही, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि बंगाली पुत्र रामू कहार निवासी पिलखौवा थाना रौनाही, अयोध्या अभियुक्त के कब्जे से 50 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके सम्बन्ध में थाना रौनाही में मु0अ0सं0 178/19 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

7.दिनांक 23.04.19 को वादी उ0नि0 श्री द्विवेश त्रिवेदी थाना पटरंगा, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि अमेरिका प्रसाद पुत्र जगेश्वर निवासी जरायल कला थाना पटरंगा, अयोध्या अभियुक्त के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके सम्बन्ध में थाना पटरंगा में मु0अ0सं0 88/19 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।